

सराहनीय कार्य- आपरेशन शिकंजा जनपद बलरामपुर

आयुध्द अधि0 धारा 3/25 के आरोपी को 5000 रु0 के अर्थदण्ड,अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा।

पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में आयुध्द अधि0 धारा 3/25 के आरोपी को 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

वादी मुकदमा थाना स्थानीय महारागंज तराई में मु0अ0सं0 54/2004 धारा 3/25आयुध्द अधि0 पंजीकृत बनाम आशीष सिंह पुत्र अमरेश सिंह थाना कोतवाली नगर जिसकी विवेचना HCP द्दवन्दबाहादुर सिंह, बलरामपुर द्वारा की गयी जिसके संबंध में आरोप पत्र दिनांक 06.05.2005 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

न्यायालय JM द्वितीय मे विचाराधीन उपरोक्त मुकदमें की पैरवी नोडल अधिकारी क्षेत्राधिकारी ललिया श्री राधारमण सिंह के नेतृत्व में प्रभावी पैरवी करते हुये APO फुलचन्द, जनपदीय मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव व उनकी टीम, प्रभारी निरीक्षक महारागंज तराई पैरोकार थाना महारागंज तराई एवम् जनपदीय अभियोजन शाखा के साथ संयुक्त प्रयास कर मा0 न्यायालय मे प्रभावी पैरवी, गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कर आरोपी को JM 2nd Court द्वारा

आयुध्द अधि0 धारा 3/25 के आरोपी को दौराने विचारण अभियुक्त द्वारा अपराध संस्वीकृति करने पर जेल मे वित्तया गया 22 दिन कारावास और 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थ दंड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।